राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

बजट समाचार

त्रैमासिक | अंक 64 | अप्रैल - जून 2018 | सीमित प्रसार के लिए

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना : समीक्षा

2015–16 के बजट भाषण में राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की थी। इसी वर्ष 13 दिसम्बर को इस योजना का प्रारंभ किया गया था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य में स्वास्थ्य संकेतकों की स्थिति को सुधारना है। इसके अलावा कुछ अन्य मुख्य लक्ष्य गरीबों को मुफ्त और परेशानी मुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, राज्य के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधा की स्थिति में सुधार लाना, गरीबों द्वारा स्वास्थ्य सेवा में खर्च को स्वास्थ्य बीमा से कम करना, निजी अस्पतालों में गरीब परिवारों को इलाज की सुविधा प्रदान करना जिससे कि सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों का बोझ कम हो सके।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उन गरीब परिवारों को मिलता है जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत सामान्य बीमारी के लिए 30,000 रूपए और गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख रु. का सालाना बीमा हर परिवार को दिया जाता है।

हाल ही में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का पहला चरण, 13 दिसम्बर 2017 को समाप्त हुआ है और इस योजना का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया है। राजस्थान सरकार भामाशाह स्वास्थ्य बीमा के लिए 90 लाख से अधिक परिवारों की ओर से प्रीमियम का भुगतान करती है। इस योजना के पहले चरण में, बीमा कंपनियों को प्रीमियम के रूप में 373 रूपए प्रति परिवार का भुगतान किया जाता था। दूसरे चरण में, बीमा प्रीमियम 890 रुपये से बढ़ाया गया और प्रति परिवार प्रीमियम 1263 रूपए कर दिया गया। योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले पैकेज में कुछ बदलाव हुए हैं लेकिन प्रीमियम राशि में 4 गुना वृद्धि चौंकाने वाली बात है। उपचार के पैकेज में बहुत कम बदलाव हुए थे लेकिन प्रीमियम राशि में परिवर्तन इसकी तुलना में बहुत अधिक है।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का बजट :

इस योजना का बजट राजस्थान सरकार हर साल राज्य बजट में आवंटित करती है। नीचे दिए गई तालिका में राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना में आवंटित बजट और बजट के वास्तविक व्यय का विवरण दिया गया है।

तालिका 1 : भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का बजट

साल	आवंटित बजट		वास्तविक व्यय	प्रतिशत
2015–16	213.76		213.45	99.85
2016–17	431.00		410.87	95.32
2017–18	532.38	866.00*	760.38	87.80**
2018–19	1491.00		-	-

स्रोत : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार
*संशोधित अनुमान – 2017–18
**वर्ष 2017–18 के संशोधित अनुमान के संदर्भ में

वित्तीय वर्ष 2015–16 में, राजस्थान सरकार ने 213.76 करोड़ रुपये इस योजना में आवंटित किए जिनमें से 99.85%, यानी लगभग पूरे धन का उपयोग किया गया था। योजना में आवंटित राशि अगले वर्ष 2016–17 में करीब दुगने से बढ़ा दी गयी। इस वर्ष कुल राशि का 95.32% खर्च किया गया था। वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना में आवंटित कुल बजट 532.38 करोड़ रुपये था, जिसका उपयोग दिसंबर 2017 तक कर लिया गया। इसलिए, संशोधित बजट में से 866 करोड़ रूपए आवंटित किये गये जिसमें से कुल व्यय 760.38 करोड़ रूपए हुए जो संशोधित बजट का 87.80% है। वर्ष 2018–19 में, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का आवंटित बजट 1491 करोड़ रूपए है जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दुगुना है। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण प्रीमियम राशि में दिसम्बर 2017 से 890 रुपये की बढ़ोतरी किया जाना है।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में सरकारी और निजी अस्पतालों का हिस्सा :

3 मई 2018 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरे राज्य में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा में 707 निजी अस्पताल और 506 सरकारी अस्पताल शामिल किये जा चुके हैं। सरकारी अस्पतालों में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या उससे उच्च चिकित्सा संस्थानो में लिया जा सकता है । वर्ष 2018–19 के बजट भाषण में, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस योजना का लाभ आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी उपलब्ध कराने की बात की थी पर अभी तक लागू नहीं हुआ है।

सरकारी और निजी चिकित्सालय भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में इलाज के लिए बीमा कंपनी से कितना शुल्क प्राप्त करते हैं, ये जानना संभव नहीं था इसलिये हमने दावे और दावे की राशि का तुलनात्मक विश्लेषण किया है।

नीचे दिए गई तालिका में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमा कंपनी द्वारा प्रथम एव द्वितीय चरण में सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में दावों की संख्या और दावों की राशि का भुगतान और उनका प्रतिशत देखा जा सकता है।

तालिका 2: सरकारी और निजी अस्पतालों के दावों की संख्या और दावों की राशि के बीच तुलना

	फेज 1 (13 दिसम्बर 2015 से 12 दिसम्बर 2017)			फेज 2 (13 दिसम्बर 2017 से 1 मई 2018)		
	सरकारी	निजी	कुल	सरकारी	निजी	कुल
दावे (संख्या में)	932111	679066	1611177	104537	160254	264791
प्रतिशत	58	42	100	39	61	100
दावों की राशि (करोड़ रु. में)	299.81	160.25	460.06	30.82	141.12	171.94
प्रतिशत	34	66	100	18	82	100

स्रोत : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार

शेष पृष्ठ 4 पर....

आयोजना की समाप्ति और अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं का भविष्य

वर्ष 2016–17 के बजट भाषण में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्तीय वर्ष 2017–18 से बजट के योजना, गैर–योजना वर्गीकरण को समाप्त करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के अनुरुप वर्ष 2017–18 में केन्द्र सरकार के साथ राजस्थान एवं अन्य बहुत से राज्यों द्वारा बजट के योजना एवं गैर–योजना वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। परिणामस्वरुप उपयोजनाओं के आवंटन का आधार समाप्त होने से उपयोजनाएं भी लगभग समाप्त हो गयी है। इसके अलावा उपयोजनाओं हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा इस निर्णय से पूर्व बनाये गये कानून भी प्रासंगिक नहीं रहे हैं।

हालांकि तेलंगाना सरकार द्वारा बनाया गया कानून बजट में इस बदलाव के बाद तथा बजट के योजना व गैर–योजना वर्गीकरण की समाप्ति को ध्यान में रखते हुये बनाया गया है। अतः इस स्थिति में राजस्थान सरकार को भी तेलंगाना सरकार की तर्ज पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के क्रियांवयन के हेतु कानून बनाने की आवश्यकता है।

बजट के योजना एवं गैर–योजना वर्गीकरण की समाप्ति के बाद देश में केन्द्र एवं अलग–अलग राज्य सरकारों द्वारा उपयोजनाओं के क्रियांवयन हेतु तरह–तरह की रणनीतियों सुझाई गयी, जिनका विवरण आगे दिया गया है।

देश में उपयोजनाओं के क्रियांवयन की दिशा में विभिन्न राज्य सरकारों के प्रयास :

देश में केन्द्र एवं राज्य स्तर पर बजट के योजना एवं गैर–योजना वर्गीकरण की समाप्ति के बाद विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा उपयोजना के क्रियांवयन के संबंध में तरह–तरह के बयान एवं नीतियां अपनाने की बात की गयी। लेकिन वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों द्वारा उपयोजनाओं के क्रियांवयन हेतु जो प्रविधियां एवं नीतियां अपनाई जा रही है, वे उपयोजनाओं हेतु आवश्यकता आधारित आयोजना एवं बजट के बजाय केवल इनकी अकांउटिंग एवं रिपोर्टींग पर जोर देती है।

- मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सरकार ने दलितों एवं आदिवासियों के लिये अलग योजनाएं तैयार कर लागू करने की बात कही है।
- केरला एवं तमिलनाडू सरकारों ने बजट के आयोजना एवं गैर–योजना वर्गीकरण को यथावत् रखा है।
- महाराष्ट्रा सरकार ने गैर योजना बजट को भी जोड़ने की बात कही है। इस हेतु आवंटन का स्तर साल 2016–17 के बजट आवंटन को मानदंड/बेंचमार्क के तौर पर लिया गया है।
- कर्नाटका सरकार ने इस हेतु आवंटन योग्य बजट (Allocabel Budget) को परिभाषित किया है। जिसमें कुल राज्य बजट में से वेतन, अनुदान एवं सहायता, पेंशन, प्रशासनिक व्यय, ऋणों का पुर्नभुगतान आदि को घटाकर शेष राशि को आवंटन योग्य बजट बताया है।
- तेलंगाना सरकार ने नया कानून बनाकर राज्य के कुल विकास कोष (प्रगतिपद्दु) में से अनुसूचित जाति विशेष विकास कोष एवं जनजाति विशेष विकास कोष का निर्माण किया है।

मुद्दे एवं नीतिगत सुझाव :

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सरकारों द्वारा योजना एवं गैर–योजना बजट वर्गीकरण की समाप्ति से उपयोजनाओं का आधार समाप्त हो गया है। आयोजना समाप्त होने के परिणामस्वरुप उपयोजनाएं भी लगभग समाप्त हो गयी हैं। अतः हमारा सुझाव है किः

- अनुसूचित जाति उपयोजना तथा जनजाति उपयोजना को कानूनी रूप देने हेतु तेलंगाना सरकार की तर्ज पर कानून पारित किया किया जाये।
- सभी विभागों में दलितों एवं आदिवासियों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली विशेष योजनाएं बनाकर इस कोष से क्रियांवित की जायें।
- उपयोजनाओं की राशि ना तो लेप्स की जाये और ना ही अन्य मदों में हस्तांतरित की जाये, बल्कि शेष बची राशि को अगले वर्ष उपयोग में लेने की व्यवस्था हो।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों की महिलाओं के अधिकार एवं सशक्तीकरण के लिये विधेयक एवं रणनीति में प्रावधान किये जायें।
- उक्त विधेयक के अंतर्गत बजट खर्च की आयोजना, नियमित निगरानी एवं नियंत्रण की व्यवस्था की जाये। आयोजना हेतु जमीनी स्तर पर डेटाबेस तैयार कर ग्राम स्तर से आयोजना तैयार किया जाना सुनिश्चित कीया जाये।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के लिये आयोजना हेतु निम्न से उच्च (Bottom up planning) की आयोजना रणनीति अपनाई जाये। इसके अलावा इन उपयोजनाओं को पंचायतीराज आयोजना से जोड़ा जाये।
- राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की तरह उपयोजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले बजट आवंटन को दर्शाने हेतु अलग स्टेटमेंट (21 एवं 21ए) जारी करने चाहिये।
- उपयोजनाओं हेतु आयोजना, बजट आवंटन एवं खर्च, निगरानी तथा पारदर्शिता हेतु राज्य, जिला एवं निम्न स्तर के सभी विभागों के साथ पंचायतीराज संस्थाओं को दिशा–निर्देश जारी किये जायें।
- उपयोजनाओं के व्यवस्थित क्रियांवयन हेतु पारदर्शिता एवं जबावदेही की मझबूत व्यवस्था हो। इस हेतु हर विभाग प्रत्येक स्तर पर मासिक व्यय एवं प्रगति की समीक्षा बैठक करे। साथ ही लोक लेखा समिती (पी.ए.सी.) में भी उपयोजनाओं की समीक्षा की व्यवस्था हो।
- अनसूचित क्षेत्रों में पेसा कानून ग्रामसभा को आयोजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना सहित) का अधिकार देता है। उपयोजनाओं से संबंधित आगामी कानून एवं रणनीति में पेसा के इस प्रावधान को शामिल किया जाना आवश्यक है।
- विधेयक में जनजाति कल्याण निधि (महाराष्ट्रा पैटर्न) के संबंध में नियम भी शामिल किया जायें।
- कार्यक्रमों को लागू करने का संस्थापन व्यय एवं वेतन आदि के खर्च को इससे अलग रखा जाये।
- कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों की सरकारों द्वारा भूमिहीन दलितों एवं आदिवासियों को उपयोजनाओं के तहत भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में खरीदकर भूमि वितरित की जा रही है जो कि एक सफल कार्यक्रम है। अतः राजस्थान सरकार भी ऐसा कार्यक्रम बना सकती है।

राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार के चार वर्ष : सामाजिक क्षेत्र सम्बन्धी नीति और बजट पर एक दृष्टि

वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार दिसम्बर 2013 में विधानसभा में भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। सरकार द्वारा गत चार वर्षों में सफलतापूर्वक शासन करने के बड़े–बड़े दावे किये गये हैं। इन चार वर्षों के दौरान विकास की दिशा में बदलाव लाने हेतु सरकार के स्तर पर कईं पहल की गई हैं, जैसे भामाशाह कार्डों का उपयोग, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, सार्वजनिक वितरण की दुकानों पर पी.ओ.एस. (पाइंट आफ सेल) मशीनों का प्रयोग, ग्रामीण गौरव सड़कों का निर्माण (पंचायत मुख्यालयों को मुख्य सड़क से जोड़ना), जल स्वावलम्बन अभियान (सभी स्रोतों से धनराशि इकट्ठी करके गांवों में जल संग्रहण), प्रत्येक पंचायत में एक आदर्श स्कूल की स्थापना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना (बालिका के जन्म पर किश्तों में उसे 50,000 रू. की राशि प्रदान करना) इत्यादि।

नीतिगत स्तर पर बदलाव :

चार वर्ष पूर्व सरकार बदलने के साथ सरकारी नीतियों में भी सामान्य बदलाव आया और सामाजिक क्षेत्र के प्रति नीतियों में तो विशेष बदलाव देखे गये। ऐसा लग रहा है कि सरकार तकनीकी पर निर्भरता बढ़ा रही है (सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु भामाशाह कार्ड एवं आधार कार्ड का लगभग अनिवार्य किया जाना, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में पॉइंट आफ सेल – पीओएस का प्रयोग और दूसरी तरफ स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी सेवाओं को पीपीपी पद्धति का प्रयोग करते हुए निजीकरण की ओर ले जाना, मुफ्त दवा एवं मुफ्त जांच के स्थान पर स्वास्थ्य बीमा को लागू करना और सामान्य रूप में औद्योगिक और आर्थिक विकास पर विशेष जोर दिया जाना सरकार की प्राथमिकता रही है।

यदि सामाजिक क्षेत्र के लिये बजट आवंटन को देखें तो हम पाते हैं कि पिछले चार वर्षों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता। सामाजिक क्षेत्र में हमने जिन क्षेत्रों अथवा विषयों को शामिल किया है, वे हैं – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, शहरी विकास, शहरी आवासन, जल एवं स्वच्छता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों (अल्पसंख्यकों सहित) का कल्याण, श्रम कल्याण, समाज कल्याण एवं पौष्टिक आहार, तथा ग्रामीण विकास। लेकिन सामाजिक क्षेत्र के लिये राज्य सरकार द्वारा किये गये आवंटनों का हम विश्लेषण करें, इससे पूर्व हम उन दो प्रमुख बदलावों को समझना चाहेंगे जो कि राज्य के वित्तीय परिदृश्य को प्रभावित कर रहे हैं।

वित्तीय स्तर पर दो बड़े बदलाव :

इस अवधि में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जिन पर विचार करना अनिवार्य है:–

1. केन्द्र सरकार का यह निर्णय कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये उपलब्ध कराई जा रही वित्तीय सहायता को राज्य के बजट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाये जो कि पूर्व में राज्य के बजट की अनदेखी करते हुए अधिकांश मामलों में सीधे ही उन निकायों को उपलब्ध कराई जा रही थी जो कि उन योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे थे। वर्ष 2014–15 से अब केन्द्रीय योजनाओं की राशि राजस्थान के राज्य बजट में शामिल की जा रही है और इससे केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और सामाजिक क्षेत्र के लिये अधिसूचित आवंटनों में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है क्योंकि अधिकांश केन्द्रीय योजनाएं सामाजिक क्षेत्र का ही हिस्सा है।
2. केन्द्र सरकार द्वारा चौदहवें वित्त आयोग की उन सिफारिशों को स्वीकार कर लेना जिनमें कहा गया है कि केन्द्रीय करों के कुल विभाज्य पूल में राज्यों के हिस्से को केन्द्र सरकार द्वारा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिये। इससे, जैसा कि निम्न सारिणी में दर्शाया गया है, ''केन्द्रीय करों में हिस्सा'' मद के अन्तर्गत केन्द्र से राज्य को (राशियों के) हस्तांतरण में वृद्धि हुई है जबकि अन्य मदों के अन्तर्गत (जैसे कि अनुदान एवं केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिये आवंटन) राशियों के आवंटन में कमी आई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि राज्य के कुल बजट के प्रतिशत अथवा राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति के रूप में केन्द्र से राजस्थान सरकार को कुल हस्तांतरित राशि लगभग उतनी ही अर्थात् पूर्ववत रही है। लेकिन केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से में वृद्धि होने से राज्य सरकार की वित्तीय स्वायत्तता में अवश्य ही वृद्धि होगी।

सारणी 1 : राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति की संघटना (प्रतिशत में)

क्र. सं.	राज़स्व प्राप्ति	2014-15 बी.ई.	2014-15 आर ई	2014-15 ए ई	2015-16 बी ई	2015-16 आर ई	2015-16 ए ई	2016-17 बी ई	2016-17 आर ई	2016-17 ए ई	2017-18 बी ई	2017-18 आर ई	2018-19 बी ई
1.	केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी	21.44	20.5	21.7	25.97	26.14	27.81	25.54	28.82	30.78	28.6	27.49	28.5
2.	राज्य के अपने कर	38.31	41.16	42.35	42.29	42.77	42.61	43.25	40.36	40.7	41.92	38.47	38.36
3.	गैर–कर राजस्व	14.08	13.93	14.49	13.92	11.12	10.9	11.43	10.71	10.65	11.13	12.37	13.45
4.	अनुदान (ग्रान्ट इन एड)	26.17	24.41	21.47	17.82	19.98	18.67	19.79	20.11	17.87	18.34	21.67	19.69
(1+ 4)	केन्द्र से प्राप्त कुल राशि	47.6	44.9	43.2	43.8	46.1	46.5	45.3	48.9	48.7	46.9	49.2	48.2
5.	कुल राजस्व प्राप्ति	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

स्रोत : राज्य बजट पुस्तिकाएं, वित्त विभाग, राजस्थान

सामाजिक क्षेत्र के लिये राज्य सरकार के आवंटन:

नीचे दी गई सारिणी में चयनित क्षेत्रों के लिये किये गये आवंटनों को दर्शाया गया है जो कि पिछले चार वर्षों के दौरान सामाजिक क्षेत्रों का हिस्सा रहे हैं :–

सारणी–2: राजस्थान सरकार द्वारा चयनित सामाजिक क्षेत्रों को किये गये आवंटन (राशि करोड़ रू में)

क्षेत्र	2013-14 (बीई)	2013-14 (ए.ई.)	2014-15 (बीई)	2014-15 (ए ई)	2015-16 (बी ई)	2015-16 (ए ई)	2016-17 (बी ई)	2016-17 (ए ई)	2017-18 (बी ई)	2017-18 (आर ई)	2018-19 (बी ई)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5028.45	4751.63	8703.36	6457.71	9416.27	7757.81	9537.39	8253.17	9750.57	10800.80	12813.48
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	16403.05	15371.02	22873.39	19419.33	23824.57	21251.97	25461.78	24617.28	27688.18	28597.99	34553.32
शहरी विकास	4083.12	3481.31	4440.03	3065.34	3913.15	3653.10	6300.40	5570.41	5994.45	6241.58	6494.53
शहरी आवासन	88.72	63.43	94.46	68.97	117.81	107.96	88.21	95.58	92.68	83.07	92.83
जल एवं आरोग्य (स्वच्छता)	4415.12	4599.4	6725.08	6565.54	6919.72	6784.43	7959.05	6818.87	8647.21	8108.12	8671.66
अ. जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	1346-57	1281-46	1542-57	1159-23	1471-61	1286-94	1698-82	1403-73	1753-51	1744-75	1897-53
श्रम कल्याण	319.19	310.82	385.72	451.53	517.87	477.27	502.80	494.75	554.13	572.55	645.77
समाज कल्याण एवं पोषण	3761.05	5900.02	6567.62	6250.4	7592.51	7834.35	7119.45	8050.45	7679.18	8103.11	8386.11
(पोषण)	(1578.55)	(1343.55)	(1955.32)	(1410.92)	(1695.69)	(1305.60)	(1572.76)	(1420.81)	(1503.54)	(1574.49)	(1988.74)
ग्रामीण विकास	5661.68	5487.82	13904.11	10860.4	12968.3	12702.19	14814.34	11686.94	13877.65	18405.16	15566.56
सामाजिक क्षेत्र का कुल बजट	39528.4	39903.36	63281.02	52887.53	65046.1264	60550.42	71909.48	65570.35	74534.02	81082.63	87133.05
पिछले वर्ष से वृद्धि	-	-	60.09	32.54	2.79	14.49	10.55	8.29	3.65	15.17	16.90
कुल राज्य बजट	**94871.9**	**94101.08**	**131426.9**	**116605.5**	**137713.4**	**129736.02**	**151127.7**	**139727.6**	**166753.9**	**175615.1**	**197274.6**
कुल राज्य बजट में सामाजिक क्षेत्र का हिस्सा (%)	**41.67**	**42.40**	**48.15**	**45.36**	**47.23**	**46.67**	**47.58**	**46.93**	**44.70**	**46.17**	**44.17**

स्रोत : राज्य बजट पुस्तिकाएं, वित्त विभाग, राजस्थान

नोट : पोषण के आंकड़े सामाजिक सुरक्षा और पोषण में शामिल हैं। सरकार दिसम्बर 2013 में सत्ता में आई थी और इसने वर्ष 2014–15 के बज़ट के लिये मार्च 2014 में अन्तरिम बजट (लेखा अनुदान) प्रस्तुत किया और पुनः जुलाई माह में एक संशोधित बजट प्रस्तुत किया गया। ऊपर दिये गये आंकड़े वर्ष 2014–15 (बी.ई.) के संशोधित बजट से लिये गये हैं।

सामाजिक क्षेत्र के बजट में बढ़ोतरी नहीं :

अब यदि हम इन क्षेत्रों के लिये किये गये आवंटनों की तुलना करें तो वर्ष 2014–15 में पिछले वर्ष की अपेक्षा 60 प्रतिशत की प्रभावपूर्ण वृद्धि पाते हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान वास्तविक व्यय काफी कम हुआ (आवंटनों की तुलना में), किन्तु फिर भी हम गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष वास्तविक व्यय में 30 प्रतिशत की वृद्धि पाते हैं। यह मुख्यतः केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये केन्द्र सरकार द्वारा किये गये आवंटनों को राज्य बजट के माध्यम से आवंटित किये जाने के कारण हुआ है। इस कारण यह वृद्धि बड़ी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में अधिक नजर आती है, जैसे कि शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान), स्वास्थ्य (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) एवं ग्रामीण विकास (मनरेगा)।

परन्तु 2014–15 के पश्चात्, आवंटनों और व्यय में बढ़ोत्तरी बहुत प्रभावपूर्ण नहीं रही है। 2014–15 की तुलना में वर्ष 2015–16 (बी ई) में समूचे सामाजिक क्षेत्र में हुई वृद्धि केवल 2.39% थी। वर्ष 2015–16 वह वर्ष है जिसमें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया है। वर्ष 2015–16 की तुलना में वर्ष 2016–17(बीई) के बज़ट में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन, राज्य के बजट के प्रतिशत के रूप में सामाजिक क्षेत्र के कुल आवंटनों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं दिखती है, बल्कि हाल के वर्षों में इसमें कमी ही आई। राज्य के कुल बजट की तुलना में वर्ष 2014–15 में सामाजिक क्षेत्र के लिये बजट आवंटन पिछले वर्ष से लगभग 3 से 4 प्रतिशत बढ़ गया था जो केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में केन्द्रीय अंशदान को राज्य बजट के माध्यम से दिये जाने से संभव हुआ। परन्तु राज्य के कुल बजट के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2014–15 के बाद सामाजिक क्षेत्र हेतु किये गये आवंटनों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि 2017–18 और 2018–19 में इसमें कमी ही आई है। राज्य के कुल बजट के प्रतिशत के रूप में सामाजिक क्षेत्र का बजट 2014–15 (बजट अनुमान) में 48 प्रतिशत था जो 2018–19 में घटकर 44 प्रतिशत रह गया।

आवंटित बजट का कम उपयोग :

एक अन्य महत्वपूर्ण रूझान जो यहां दिखाई दे रहा है, वह है बज़ट आवंटनों का कम उपयोग। वर्ष 2014–15 में सभी सामाजिक क्षेत्रों के लिये किये गये कुल आवंटनों की अपेक्षा वास्तविक व्यय 16% कम रहा। यह कम व्यय सामाजिक क्षेत्र में शामिल सभी क्षेत्रों में हुआ है। यह स्थिति वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 में भी बनी रही। इन दो वर्षों में सामाजिक क्षेत्रों का वास्तविक व्यय बजट आंवटन के अपेक्षा क्रमशः 6.9 प्रतिशत तथा 8.8 प्रतिशत कम रहा।

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के आवंटनों में कमी :

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किये जाने के बाद (वर्ष 2015–16 से) केन्द्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा तो बढ़ा है लेकिन विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के आवंटनों में कटौती की गई है। निम्न सारणी में प्रस्तुत आंकड़ों से यह स्पष्ट रूप देखा जा सकता है।

सारणी 3: केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये किये गये आवंटन

(रू. करोड़ में)

क्र. सं.	योजना	2014-15 (बी.ई.)	2014-15 (आर.ई.)	2014-15 (ए.ई.)	2015-16 (बी.ई.)	2015-16 (ए.ई.)	2016-17 (बी.ई.)	2016-17 (ए.ई.)	2017-18 (बी.ई.)	2017-18 (आर.ई.)	2018-19 (बी.ई.)
1.	सर्व शिक्षा अभियान	28258	24380	24097	22000	21685	22500	21685	23500	23500	26129
2.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	5000	1560	3398	3565	3698	3700	3698	3830	3915	4213
3.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन एच एम)	22731.0	18609.03	19751.4	18875.3	22872	19037	22872	-	31292	30634
4.	समन्वित बाल विकास सेवा (आई सी डी एस)	18391	16562	16684	12049*	14632.3	14863	14632.3	-	16195.2	19335
5.	मिड डे मील (एम डी एम)	13215	11051	10523	9236	9475	9700	9475	10000	10000	10500
6.	समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस)	400	450	NA	402.02	577	397	577	-	648	725
7.	विविध क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एम एस डी पी)		769.72	768	1232	1082	1125	1082	-	1200	1319.98
8.	एम जी नरेगा	33989		32463.4	34699	48215	38500	48215	-	55000	55000
9.	इन्दिरा आवास योजना	16000		11096.2	10025	16071	15000	16071	-	23000	21000
10.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम)	4000		1255.5	2382.8	3158	3000	3158	-	4350	5750
11.	कृषि विकास योजना (के वी वाई)	9954	8444	8443	4500	3892	5400	3892	4750	3050	3600

स्रोत : सी बी जी ए, नई दिल्ली, रेस्पॉन्स टु यूनियन बजट 2016, 2017

नोट : * समन्वित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के लिये बज़ट अनुमानों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने वर्ष 2014–15 में 18,391 करोड़ रूपए आवंटित किये थे इसके समक्ष वर्ष 2015–16 के बजट में इस मद में 8449 करोड़ रूपए (बज़ट अनुमान) का आवंटन किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा पूरक मांगों (अनुदान) के अन्तर्गत 3600 करोड़ रूपए और बढ़ाये गये जिसे मिलाकर यह राशि कुल 12049 करोड़ रूपए हो गई।

शेष पृष्ठ 4 पर

राज्य में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति

राष्ट्रीय बाल नीति–1974 के प्रस्तावों के अनुसरण में राज्य के बच्चों एवं महिलाओं, विशेष रूप से गर्भवती एवं धात्री माताओं को बेहतर जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1975 में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम लागू किया गया। यह कार्यक्रम राज्य के सभी 33 जिलों की 295 पंचायत समितियों में क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य की सभी 9904 ग्राम पंचायतें इस कार्यक्रम से जुड़ चुकी हैं। शहरी क्षेत्रों में भी आई.सी.डी.एस. सेवाओं का विस्तार किया गया है। राज्य में एक लाख से अधिक आबादी के 20 शहरों सहित कुल 287 कस्बों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गए हैं। राज्य में वर्तमान में 304 बाल विकास परियोजनाओं में 55816 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 6204 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत हैं।

समेकित बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) कार्यक्रम का उदेश्य :–

- 0–6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना ।
- बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं समाजिक विकास के लिए आधार तैयार करना ।
- कुपोषण, बाल मृत्यु, रुग्णता तथा बीच में पढाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी लाना।
- बाल विकास को प्रोत्साहन के लिए सम्बंधित विभाग के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना।
- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण सम्बन्धी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु माताओं को प्रशिक्षित करना।

समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध सेवाएँ एवं लाभार्थी

क्र.सं	सेवा	लभार्थी
1	पूरक पोषाहार	6 माह से 6 वर्ष आयु के बच्चे, गर्भवती–धात्री महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं
2	शाला पूर्व शिक्षा	3 से 6 वर्ष आयु के बच्चे
3	पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा	15 से 45 वर्ष आयु की महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं
4	प्रतिरक्षण (टीकाकरण)	0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं
5	स्वास्थ्य जाँच	0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे, गर्भवती–धात्री महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं
6	सन्दर्भ (रेफरल) सेवाएं	0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे, गर्भवती तथा धात्री महिलाएं

स्रोत – वार्षिक रिपोर्ट, महिला एवं बाल विकास विभाग, 2017–18

आंगनबाड़ी भवन एवं भौतिक सुविधा की स्थिति

क्र.सं.	विवरण	योग
1	कुल परियोजनाएं	304
2	कुल स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र	62020
3	कुल संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र	61029(98.40)**
4	विभागीय भवन में संचालित आंगबाड़ी केन्द्र	25358 (41.55)*
5	किराये के भवन में संचालित आंगबाड़ी केन्द्र	10685 (17.50)*
6	स्कूल में संचालित आंगबाड़ी केन्द्र	18406 (30.15)*
7	सरकारी भवनों में संचालित आंगबाड़ी केन्द्र	3534 (5.79)*
8	अन्य सामुदायिक भवनों में संचालित आंगबाड़ी केन्द्र	3046 (4.99)*
9	शौचालय की उपलब्धता वाले आंगनबाड़ी केन्द्र	29367 (48.11)*
10	पेयजल की उपलब्धता वाले आंगनबाड़ी केन्द्र	47313 (77.52)*

स्रोत – वार्षिक रिपोर्ट, महिला एवं बाल विकास विभाग, 2017–18 ए
नोट :– कोष्टक () में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का प्रतिशत है
कोष्टक () में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या से प्रतिशत है।

- ऊपर दी गई सारणी के अनुसार वर्ष 2017–18 तक केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में कुल स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र 62020 हैं, लेकिन विभाग द्वारा 61029 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।
- सारणी से देखा जा सकता है कि वर्तमान में संचालित 61029 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 25358 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवनों में संचालित हैं जबकि 10685 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं।
- शेष 18406 आंगनबाड़ी केन्द्र राजकीय विद्यालयों में एवं 6580 आंगनबाड़ी केन्द्र राजकीय भवनों एवं निशुल्क सामुदायिक भवनों में संचालित हैं।
- सारणी से देखा जाए तो आंगनबाड़ी केन्द्रों की भौतिक स्थिति बेहद खराब है क्योंकि सभी संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पेयजल तथा शौचालय की सुविधा नहीं है। वर्तमान में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की तुलना में 47313 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ही पेयजल उपलब्ध है। अतः 77.52 प्रतिशत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पेयजल की सुविधा है।
- संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शौचालय की स्थिति तो अत्यधिक निराशाजनक है, क्योंकि 61029 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 29367 (48.11 प्रतिशत) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ही शौचालय उपलब्ध है। पेयजल एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण आंगनबाड़ी केन्द्र पर आने वाले बच्चों को अत्यधिक असुविधा हो रही है। आंगनबाड़ी केन्द्र पर बच्चों की कमी का एक मुख्य कारण भी यही है।

राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी एवं आंगनबाड़ी सहायिका के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति (दिस. 2017 तक)

क्रियाशील आंगनबाड़ी केन्द्र			आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद			आंगनबाड़ी सहायिका पद			आशा सहयोगिनी पद		
आंगनबाड़ी केन्द्र	मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र	कुल आंगनबाड़ी केन्द्र	स्वीकृत पद	भरे पद	प्रतिशत	स्वीकृत पद	भरे पद	प्रतिशत	स्वीकृत पद	भरे पद	प्रतिशत
55260	5769	61029	55260	53357	96.56	55816	52547	94.14	55816	48639	87.14

स्रोत – वार्षिक रिपोर्ट, महिला एवं बाल विकास विभाग, 2017–18

केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान के लिए 62020 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं, वर्तमान में राज्य में 61029 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिसमें 55260 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 5769 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र हैं। आगनबाडी केन्द्र संचालक सदस्यों में आशा सहयोगिनी की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार के नियमानुसार प्रत्येक संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र पर (मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र को छोडकर) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका एवं आशा सहयोगिनी का होना अनिवार्य है। लेकिन ऊपर दी गई सारणी से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका एवं आशा सहयोगिनी की वर्तमान स्थिति विपरीत नजर आती है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए आशा सहयोगिनी के 55816 पद स्वीकृत हैं जिसमें से दिसम्बर 2017 तक की स्थिति के आधार पर करीब 7177 पद (12.86 प्रतिशत) रिक्त हैं। इसी प्रकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के स्वीकृत पद 55260 हैं, लेकिन करीब 1893 पद (3.43 प्रतिशत) रिक्त हैं तथा सहायिका के लिए 55816 पर स्वीकृत हैं जबकि करीब 3269 पद (5.86 प्रतिशत) रिक्त हैं।

समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का बजट :

समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम एवं पोषाहार का कुछ वर्षों का बजट विवरण नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी : समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के लिये आवंटित बजट (राशि करोड़ में) मुख्य शीर्ष 2236 एवं 4236

मद	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2015–16 वास्तविक व्यय	2016–17 बजट अनुमान	2016–17 संशोधित अनुमान	2016–17 वास्तविक व्यय	2017–18 बजट अनुमान	2017–18 संशोधित अनुमान	2018–19 बजट अनुमान
पोषाहार	629.58 (37.12)	610 (38.31)	563.91 (41.42)	629.61 (37.76)	600 (39.40)	593.43 (40.66)	600 (37.30)	600 (36.55)	650 (31.84)
सहयोगिनी मानदेय	93.60 (5.52)	90.77 (5.70)	87.06 (6.39)	92.88 (5.57)	103.26 (6.78)	97.27 (6.66)	116.87 (7.26)	109.66 (6.68)	175.42 (8.59)
प्रसाशनिक व्यय	700.72 (41.32)	678.59 (42.66)	622.38 (45.66)	699.37 (41.95)	732.47 (48.1)	695.97 (47.69)	741.9 (46.13)	782.86 (47.70)	948.23 (46.46)
आंगनबाड़ी कल्याण कोष	1.55	1.36	1.2	1.55	1.32	1.17	1.42	1.35	1.35
आईसीडीएस चतुर्थ	10.12	6.97	3.74	17.65	17.63	8.07	15.54	66.1	117.34
राजीव गाँधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण एवं पोषाहार योजना (सबला)	10 (0.59)	29.15 (1.83)	0.17 (0.012)	10.13 (0.61)	2.16 (0.14)	0.37 (0.025)	0.0002 (0)	5 (0.30)	51.13 (2.50)
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (सशर्त मातृत्व लाभ योजना)	27 (1.59)	27 (1.69)	26.78 (1.96)	30 (1.80)	25 (1.64)	24.2 (1.65)	25 (1.55)	9 (0.55)	44.96 (2.20)
कार्यालय भवन निर्माण	4.36	4.36	0.42	5	3.5	1.77	5	4	5
आंगनबाड़ी भवन निर्माण (आईसीडीएस मिशन मोड)	195.91 (11.55)	137.41 (8.63)	57.52 (4.22)	75 (4.50)	35 (2.30)	34.99 (2.39)	59.8 (3.71)	29.75 (1.81)	21.21 (1.03)
आंगनबाड़ी केन्द्र अपग्रेडेशन एवं रख रखाव मय क्रेच निर्माण आईसीडीएस मिशन मोड अंतर्गत (मरम्मत)	14.5 (0.85)	6.1 (0.38)	0 (0)	14.5 (0.87)	1.92 (0.12)	1.92 (0.13)	40 (2.49)	33 (2.01)	26.15 (1.28)
अन्य व्यय	8.34	0.29	0	91.57	0.33	0.08	2.8	0.52	0.32
कुल बजट(आईसीडीएस)	1695.68	1592	1363.17	1667.26	1522.59	1459.24	1608.33	1641.24	2041.11

स्रोत – बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार
नोट :– कोष्टक () में सम्बंधित बजट राशि का कुल आईसीडीएस बजट से प्रतिशत है।

- उपरोक्त सारणी से समझा जा सकता है कि वर्ष 2018–19 में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का कुल आवंटित बजट 2041.11 करोड़ रु. है जो पिछले तीन वर्षों के बजट अनुमान में सबसे अधिक है। जिसमें पोषाहार का बजट 650 करोड़ रु. है, जो समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के बजट का 31.84 प्रतिशत है।
- वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के बजट अनुमान में क्रमशः 1695.68 एवं 1667.26 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी, लेकिन इसके विपरीत इन्हीं वर्षों के वास्तविक व्यय को देखें तो 2015–16 तथा 2016–17 का वास्तविक व्यय क्रमशः 1363.17 तथा 1459.24 करोड़ रूपये रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पिछले वर्षों के बजट अनुमान से वास्तविक बजट में कमी आयी है।
- ऊपर दर्शायी गयी तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्तमान वर्ष 2018–19 में समेकित बाल विकास कार्यक्रम के कुल बजट अनुमान 2041.11 करोड़ रुपये की राशि में से 175.42 करोड़ (8.59 प्रतिशत) की राशि आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यरत सहयोगिनी के मानदेय वेतन के लिए आवंटित की गई है।
- वर्ष 2015–16 से वर्ष 2016–17 तक सहयोगिनी मानदेय के लिए आवंटित बजट अनुमान तथा वास्तविक व्यय की तुलना की जाए तो देखा जा सकता है, कि वर्ष 2015–16 के बजट अनुमान 93.60 करोड़ रुपये से घटकर वास्तविक व्यय 87.06 करोड़ रुपये हो गया। लेकिन इसके विपरीत वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान 92.88 करोड़ रुपये से बढ़कर वास्तविक व्यय 97.27 करोड़ रुपये हो गया।
- दी गई तालिका से यह भी देखा जा सकता है, कि पिछले तीन वर्षों में सहयोगिनी के आवंटित बजट अनुमान में वर्तमान वर्ष 2018–19 का बजट अनुमान सर्वाधिक रहा है।
- वर्ष 2015–16 तथा 2018–19 में समेकित बाल विकास कार्यक्रम के बजट अनुमान एवं पोषाहार के बजट अनुमान की तुलना करें तो वर्ष 2015–16 में समेकित बाल विकास कार्यक्रम का बजट अनुमान 1695.68 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2018–19 में 2041.11 करोड़ रुपये हो गया। इसी प्रकार वर्ष 2015–16 में पोषाहार का बजट अनुमान 629.58 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2018–19 में 650 करोड़ रुपये हो गया। दिये गए आंकड़ों से यह समझा जा सकता है, कि वर्ष 2015–16 से 2018–19 के समेकित बाल विकास कार्यक्रम के कुल बजट अनुमान में 345.43 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जबकि पोषाहार के बजट अनुमान में 20.42 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।
- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए पिछले तीन वर्षों की आवंटित राशि को देखा जाए तो वर्तमान वर्ष 2018–19 में आवंटित राशि 44.96 करोड़ रुपये सर्वाधिक रखी गई है। इसी प्रकार वर्ष 2018–19 में राजीव गाँधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण एवं पोषाहार योजना (सबला) के लिए आवंटित राशि 51.43 करोड़ रुपये सर्वाधिक रखी गई है।

सरकार ने जिला स्तर पर आवंटित बजट एवं घोषणाओं की जानकारी हेतु जारी किये दस्तावेज

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र (बार्क) शुरुआत से ही बजट में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु सरकार से निरंतर मांग करता रहा है। विगत 5–6 वर्षों से बार्क की मांग थी कि जिला स्तर पर आवंटित बजट एवं घोषणाओं की जानकारी हेतु दस्तावेज जारी किये जायें। इसी दिशा में राज्य सरकार ने गत 3–4 वर्ष से हर जिले की बजट घोषणाओं की जानकारी हेतु "जिलेवार बजट घोषणाएं" नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित करना शुरु किया है। यह पुस्तिका राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वेबसाईट (http://dipr.rajasthan.gov.in/content/dipr/en/publication/OtherPublication.html) पर उपलब्ध है।

इसी कड़ी में सरकार ने दो–तीन साल से विभिन्न विभागों के अंतर्गत एक जिले हेतु प्रस्तावित सिलिंग बजट राशि का विवरण भी देना शुरु किया है जिसे समेकित कुल जिला आयोजना 2018–19 जिलेवार (Consolidated Total District Plan 2018-19 District Wise) नाम दिया गया है। यह दस्तावेज हर जिले में संबंधित 35 विभागों हेतु उपलब्ध सीलिंग बजट राशि की जानकारी (अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं सहित) प्रदान करता है। इस दस्तावेज में हर विभाग के अधिकांश कार्यक्रमों, योजनाओं एवं गतिविधियों के लिये आवंटित बजट की जानकारी उपयोजनाओं की राशि सहित उपलब्ध है। यह दस्तावेज राजस्थान सरकार के पंचायतीराज विभाग की वेबसाईट (http://rajpanchayat.rajasthan.gov.in/en-us/announcementcirculars/circulars/planning.aspx) पर उपलब्ध है।

राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार की अधिसूचना जारी

राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा 2013 में अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव को केन्द्रीय मंत्रीमंडल द्वारा पास किये जाने के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा 19 मई, 2018 को इसके क्रियांवयन हेतु अधिसूचना जारी कर दी गयी। इसके उपरांत राज्य में अनुसूचित क्षेत्र का क्षेत्र बढ़ गया है। इस आदेश के बाद राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में उदयपुर, राजसमंद, चित्तोड़गढ, सिरोही एवं पाली जिले के चयनित ब्लॉक का संपूर्ण क्षेत्र या उनके चयनित आदिवासी बाहुल 663 गांव तथा 3 नगरपालिका क्षेत्र शामिल हो गये हैं। परिणामस्वरुप इन क्षेत्रों के निवासी भी, अनुसूचित क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास के विभिन्न प्रावधानों, कार्यक्रमों, योजनाओं, स्थानीय स्वशासन एवं आरक्षण आदि के सभी लाभों के हकदार हो गये हैं।

पृष्ठ 1 का शेष – भामाशाह स्वास्थ्य बीमा.....

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रथम चरण में कुल दावों में से 58 प्रतिशत दावे सरकारी अस्पतालों के थे जो कुल राशि का केवल 34 प्रतिशत था जबकि निजी अस्पतालों के 42 प्रतिशत दावों में कुल राशि का 66 प्रतिशत हिस्सा था।

योजना के दूसरे चरण में स्थिति और ख़राब हो गयी। सरकारी अस्पतालों में दावो की संख्या कम होकर केवल 39 प्रतिशत रह गयी है जो की कुल राशि का केवल 18 प्रतिशत हिस्सा है और निजी अस्पतालों में 61 प्रतिशत इलाज के लिए कुल राशि का 82 प्रतिशत हिस्सा है।

इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं, या तो निजी अस्पताल में इलाज कराने का शुल्क बहुत अधिक है या फिर लोग सरकारी अस्पतालों में केवल आम बीमारियों का इलाज कराने जाते हैं और गंभीर बीमारियों के लिए निजी अस्पतालों में इलाज कराते हैं।

हर साल भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभ पाने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है। अगर योजना के पहले वर्ष (2015–16) की तुलना उसके अगले वर्ष (2016–17) में लाभार्थियों की संख्या से करें तो वर्ष 2015–16 में अनुमानित लाभार्थियों की संख्या 18 लाख होनी चाहिये जो कि वास्तविक संख्या 10.18 लाख से काफी ज्यादा है वर्ष 2017–18 में इस योजना से केवल 2.01 लाख लोग ही लाभांवित हुए हैं।

तालिकाः 3 लाभार्थियों की सालाना संख्या

साल	लाभान्वित हुए रोगियों की संख्या (लाख में)		
	सरकारी	निजी	कुल
2015–16	4.49	1.64	6.13
2016–17	5.88	4.3	10.18
2017–18	0.91	1.1	2.01
कुल	11.28	7.04	18.32

स्रोत : 14–03–2018 को आरटीआई के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर
नोट *2015–16 में दी गयी जानकारी केवल 4 माह की है (दिसम्बर 2015 से मार्च 2016 तक)
**2017–18 में दी गयी जानकारी 05 मार्च 2018 तक की है।

राजस्थान सरकार बीमा कंपनी को हर परिवार के लिए बीमा किश्त हर 3 महीनों में जमा करती है। नीचे दी गई तालिका में सरकार द्वारा बीमा कंपनी को भुगतान की गयी राशि का विवरण है।

तालिका 4 में राजस्थान सरकार द्वारा बीमा कंपनी को दिसम्बर 2015 से दिसम्बर 2017 तक कुल भुगतान की गयी राशि का दिनांकवार विवरण दिया गया है। दिसम्बर 2017 से इस योजना की बीमा किश्त 373 रूपए से बढ़ाकर 1263 रूपए कर दिया गया था। इसके अनुसार दिसम्बर 2017 के बाद किये गए भुगतान राशि में फर्क देखा जा सकता है। पहले चरण में कुल प्रीमियम राशि लगभग 100 करोड़ रूपए तिमाही थी जो बढ़कर दिसंबर 2017 के बाद दूसरे चरण में 250 करोड़ तिमाही हो गई है।

तालिका : 4 राजस्थान सरकार द्वारा बीमा कंपनी को दी गयी राशि

साल	2015–16		2016–17					2017–18					कुल
दिनांक	10.12.2015	11.3.2016	6.6.2016	15.09.2017	10.12.2016	30.01.2017	16.03.2017	09.06.2017	23.06.2017	26.09.2017	13.12.2017	9.3.2018	1325.84
राशि (करोड़)	102.38	102.38	78.58	84.82	101.04	13.05	101.04	101.04	7.19	101.04	321.06	212.22	
कुल	204.76		387.53					742.55					

स्रोत : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार

यहां उपरोक्त तालिका में हम भुगतान किए गए प्रीमियम की राशि और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में दावों पर रिटर्न की राशि के बीच बढ़ते अंतर को देख सकते हैं। वर्ष 2015–16 में 2016–17 तक, दावों और प्रीमियम की संख्या एक साथ बढ़ रही थी। स्वीकार किए गए दावों की राशि बीमा कंपनी को भुगतान किये गये प्रीमियम से अधिक थी। इस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद से, जब बीमा प्रीमियम 4 गुना बढ़ गया था, तो स्वीकार किए गए दावों की संख्या में भारी कमी आई है।

इस प्रकार बढ़ते बीमा प्रीमियम और इसके घटते रिटर्न सरकार द्वारा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा के संबंध में प्रीमियम बढ़ोतरी के गलत निर्णय को दर्शाता है।

संपादक – **नेसार अहमद**
संपादक मण्डल – **महेन्द्र सिंह राव**
– **ऋषि सिंहा**
– **सकील कुरैशी**
सहयोग – **अंकुश वर्मा**
– **भीमसिंह मीणा**
सलाहकार – **डॉ जिनी श्रीवास्तव**

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं :-

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005
फोन/फैक्स : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org

पृष्ठ 2 का शेष – राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार के चार वर्ष ....

जैसाकि ऊपर सारणी में दर्शाया गया है वर्ष 2014–15 के बाद जब 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई, तो अधिकांश केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के आवंटनो में केन्द्र सरकार द्वारा कमी कर दी गई। इससे स्पष्टतः राज्य में इन योजनाओं का बजट आवंटन प्रभावित हुआ है। निम्न सारणी में हमने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के आवंटनों के आंकड़े उपलब्ध कराये हैं :

सारणी 4: राजस्थान में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये किये गये आवंटन
(रू. करोड़ में)

योजना	मद	2014-15 (बी.ई.)	2014-15 (आर ई)	2014-15 (ए ई)	2015-16 (बी ई)	2015-16 (आर ई)	2015-16 (ए ई)	2016-17 (बी ई)	2016-17 (आर ई)	2016-17 (ए ई)	2017-18 (बी ई)	2017-18 (आर ई)	2018-19 (बी ई)
सर्व शिक्षा अभियान	कुल	4341.57	4191.55	4119.65	4987.34	4025	4025	4530.72	4531	4383	4203	5604	6850
	केन्द्रीय अंशदान	2874.02	2858.91	-	1296.71	2615	-	2718.43	2718	-	2512	3353	4200
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	कुल	1155.54	551.57	413.50	1086.48	721.88	588.55	1538	619	-	700	766.33	903.41
	केन्द्रीय अंशदान	685.07	301.18	-	814.86	410.32	-	900.00	-	-	548.6	459.76	542.04
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन एच एम)	कुल	2181.63		1968.48	2573.89	1799.10	1724.2	2095.51	1485.99	1577.98	1615.69	2201.57	1910.14
	केन्द्रीय अंशदान						-		-	-	-	-	-
मिड डे मील (एमडीएम)	कुल	765	600	566.86	659.45	683.46	-	709.27	709.27	705.74	709.27	709.27	1015
	केन्द्रीय अंशदान	600	450	-	217.01	438.68	-	454.16	-	-	463.16	427.57	462.3
समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस)	कुल	36.1	50.5	47.38	60	49.22	46.48	59.29	40	40	40	40	44
	केन्द्रीय अंशदान	25	37	-	44.5	29.58	-	35.57	-	-	30	24	26.4
विविध क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एम एस डी पी)	कुल	0.0003	7.604	8.99	12.23	34.70	21.77	56.92	58.47	51.46	56.49	56.49	62.13
	केन्द्रीय अंशदान	0.0001	5.728		7.75	26.03	-	34.95	38.1	-	-	-	
एम जी नरेगा	कुल	4849.86	3313.57	3290.56	4349.78	3810	3254.1	3817.43	1825.85	1774.67	1994.75	1934.75	2084.19
	केन्द्रीय अंशदान	4500	3000	-	4000	3448.95	-	3453.35	1512.28	-	1500	1500	1650
इन्दिरा आवास योजना	कुल	859.55	755.43	567.05	814.83	766.68	634.61	830.9	1299.54	932.55	1198.6	5507.25	1328.64
	केन्द्रीय अंशदान	644.66	549.25	-	583.46	488.4	-	498.54	783.29	-	988.8	3384.14	977.18
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम)	कुल	200	150	-	129.6	15.96	-	118.1	43.88	24.73	85	140	279
	केन्द्रीय अंशदान	150	112.5	-	97.2	9.58	-	70.86	26.32	-	78	90	186
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना	कुल	-	-	-	31.19	40.4	8.25	40.4	43.54	54.06	35.09	23.56	33.66
	केन्द्रीय अंशदान	-	-	-	23.39	24.24	-	24.24	26.12	-	30.93	22.44	22.44
स्वच्छ भारत अभियान	कुल	-	-	186.17	50	1830.5	-	2010.70	2010.7	1231.3	2175.11	2175.1	2249.62
	केन्द्रीय अंशदान	-	-	-	10	1098.3	-	1206.42	1206.42	-	1305.06	-	-
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना	कुल	280.41	245.21	189.53	245.1	367.61		281.18					
	केन्द्रीय अंशदान	84.12	245.12	-	245.1	146.33		105.54					

स्रोतः राज्य बजट पुस्तिकाएं, वित्त विभाग, राजस्थान
नोट– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आंकड़े एफ.एम.आर. से लिये गये हैं।

जैसा कि ऊपर दी गई सारणी दर्शाती है, अधिकतर मामलों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिये बजट आवंटन वर्ष 2014–15 की तुलना में कम हुये हैं या ये लगभग समान ही रहे हैं। यह कमी मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यान्ह भोजन, मनरेगा, इन्दिरा आवास योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम/मिशन के अंतर्गत देखी जा सकती है। स्वच्छ भारत अभियान योजना के बजट आवंटन में वृद्धि देखी जा सकती है, जबकि सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के आवंटनों में थोड़ी–बहुत वृद्धि हुई है।

राज्य सरकार की योजनाओं के लिये बज़ट में कमी :

केवल केन्द्र प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं के बज़ट में ही कमी अथवा कोई खास वृद्धि नहीं होना ना देखा गया है बल्कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये गये आवंटनों और इनके खर्च में भी गिरावट आई है, विशेषरूप से लोकप्रिय योजनाओं जैसे कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं निःशुल्क जांच योजनाओं के अन्तर्गत। वर्ष 2014–15 के बजट अनुमानों में निःशुल्क दवा एवं निःशुल्क जांच योजनाओं के लिये क्रमशः 382.92 करोड़ रूपए एवं 119.37 करोड़ रूपए की राशि आवंटित की गई थी और तभी से इसमें कमी का रूझान दिखाई दे रहा है। ये आवंटन घटकर अब वर्ष 2016–17 के बज़ट अनुमानों में 360.36 करोड़ रूपए एवं 105.50 करोड़ रूपए तक आ गये हैं। इन अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं के लिये कम आवंटन एवं आवंटित बजट के उपयोग में कमी निश्चित रूप से इन योजनाओं तक लोगों की पहुंच को कम करेगी। जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है, स्वास्थ्य के मामले में सरकार का ध्यान अधिकांश रूप से बीमा आधारित सहायता को अधिक बढ़ावा देने की ओर प्रतीत होता है एवं सार्वभौमिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं की ओर सरकार कम ध्यान दे रही है।

चार वर्षों की उपलब्धियां, दावे और वास्तविकता :

सत्ता में अपने चार वर्ष पूर्ण करने पर उत्सव मनाने हेतु अपने अभियान में सरकार ने अपनी अनेक उपलब्धियों के दावे किये हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अनुदानित दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु राशन की दुकानों पर बिक्री–बिन्दु (पाइन्ट आफ सेल) मशीनें लगाई गई हैं जिसे एक उपलब्धि कहा जा रहा है लेकिन सच्चाई यह है कि पी ओ एस मशीनों के कारण लोगों को सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की दुकानों से अपना राशन प्राप्त करने में भारी कठिनाई और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हांलाकि अन्य मोर्चों पर, जैसे कि ग्रामीण गौरव पथ (ग्रामीण पंचायतों को मुख्य सड़क से जोड़ने वाले मार्गों का निर्माण) के मामले में भी सरकार मामूली सी ही प्रगति कर पाई है। इस योजना के अन्तर्गत, अब तक राज्य की कुल लगभग 10,000 पंचायतों में से 2000 से भी कम पंचायतों को जोड़ा जा सका है और इसी प्रकार आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करने हेतु निर्धारित किये गये 9,895 स्कूलों के लक्ष्य के समक्ष अब तक केवल 1340 स्कूलों को ही आदर्श स्कूलों के रूप में विकसित किया जा सका है।

कुछ योजनाएं यदि अच्छी तरह से क्रियान्वित की जाये तो दीर्घावधि में इनके सकारात्मक प्रभाव होंगे। उदाहरण के लिये, जल स्वावलम्बन योजना, सरकारी स्कूलों को आदर्श स्कूलों के रूप में विकसित करना और इसी के साथ बालिकाओं एवं आरोग्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने से निश्चित रूप में सकारात्मक परिणाम आयेंगे, बशर्ते इन्हें भली प्रकार क्रियान्वित किया जाये।

सेवा में, **बुक पोस्ट**

श्रीमान/श्रीमती.....

.....

..... पिन कोड .....